न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलियां , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 212/2015

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. जयसिंह पुत्र किशनसिंह
जाति–राजपुत, उम्र–56 वर्ष
निवासी–लौटोती
तहसील–जैतारण,
जिला–पाली(राज0)

1. पृथ्वीसिंह पुत्र किशनसिह
2. गंगासिंह पुत्र किशनसिंह
3. जसकंवर पुत्री किशनसिंह
4. मोहरकंवर पुत्री किशनसिंह
जाति–राजपुत
5. धर्मा पुत्र भभुत , जाति–गुर्जर
6. कानसिंह पुत्र धनसिंह
7. मेघसिंह पुत्र नारायणसिंह
8. भंवरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
9. गजेसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
,जाति–राजपुत, निवासी–लौटोती,
तहसील–जैतारण जिला–पाली(राज.)
10. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड
होल्डर तहसीलदार जैतारण तहसील
जैतारण, जिला–पाली।(राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 18/06/2015

उपस्थित:– 1. श्री शाकीर हुसेन, अधिवक्तागण, वादी।
2. श्री रामस्वरुपप चौधरी, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:–06/02/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लौटोती तहसील–जैतारण की सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्वर 674 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की वाके है। उक्त कृषि भूमि मे माफिक्र राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संम्वत् 2060 से 2072 के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से सामलाती खातेदारी हिस्सा कुल आराजी का 1/6 है तथा प्रतिवादी संख्या–5 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का हिस्सा भी कुल आराजी का 1/3 हिस्सा है। उक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान मौके पर मना गना अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। तथा काश्त करते है। नकल जमाबंदी संम्वत् 2069 से 2072 साथ पेश है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का हिस्सा तथा अन्य सहखातेदार व सहहिस्सेदार का बंटवाडा माफिक कानून के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के नही हो रखा हैं तथा आराजी अविभाजित है एवं सभी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर उन्नत तरीके से खेती किसी भी वितीय संस्था बैंक से ऋण लेकर या बैंक किसान क्रेडिट कार्ड से भी लॉन नही ले सकता है, क्योकि उक्त हिस्सेदार प्रतिवादीगण वादी को अपनी सहमति भी नही देते है। इसलिए वादी माफिक कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स का तकास्मा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कराकर अपना हिस्सा जरिये तरमीम के अलग कराने की दादरसी हेतु यह तकास्मा आराजी का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करने के अलावा अन्य नही कोई विकल्प नही होने से तकास्मा आराजी का वाद श्रीमान् की सेवा में पेश है। वादी ने प्रतिवादी को ग्राम लौटोती में ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प के दौरान उक्त आराजी का तकास्मा कराकर तरमीम का निवेदन किया पर प्रतिवादीगण कैम्प दिनांक 25.05.2015 में उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाकर तरमीम को तैयार नही होने से तकासमा आराजी का वाद वादी की ओर से प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश है। वाद तकास्मा आराजी की दादरसी का है। तथा इससे माफिक कानून राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर तहसीलदार जैतारण आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी संख्या-10 पक्षकार बनाकर यह वाद पेश है। बिनाय दावा दिनांक 25.05.2015 ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प ग्राम लौटोती में होने पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का तकास्मा कराकर तरमीम का निवेदन करने से प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर स्थान लौटोती में पैदा हुआ जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार का है। इस प्रकार वकील मय वादीगण ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस वास्ते जवाब दावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण 01 से 04 व 09 से 10 तक बावजुद सम्मनस सुचना / तामिल के एवं बार-बार आवाजें दिलाई जाने के बावजुद अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं। प्रतिवादी सं. 05 से 08 की ओर से वकल रामस्वरूप चौधर एवं किशोर कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाना चाहते हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। प्रस्तुत वादी द्वारा वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर गहनता से मनन किया गया। बहस वकुलाय पर भी गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती, तहसील जैतारण, (जिला-पाली) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 07-12 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के संयुक्त अपने अपने हिस्से के सहखातेदार दर्ज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जे काश्त की भूमि अनुसार नापचौप करके माफिक वाद पत्र एवं राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा का प्राथमिक रूप से वाद डिक्री किया जाना उचित समझतें हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती, तहसील जैतारण (जिला-पाली) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 07-12 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2016/723 दिनांक 20/04/2016, पत्रांक/कोर्ट/2017/82 दिनांक 06/11/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/4023 दिनांक 06/07/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

की पालना अर्थात् बंटवाड़ा नहीं कर केवल मात्र मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस पर तहसीलदार जैतारण पुनः आदेशित किया गया कि दोनों पक्षों को विधिवत् नोटिस जारी कर दिनांक तय कर दोनों पक्षों के रूबरू बंटवाड़ा कर बंटवाडा रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत करे। पत्रांक/कोर्ट/2018/832 दिनांक 16/08/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/4953 दिनांक 28/08/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती, तहसील जैतारण (जिला–पाली) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 07–12 बीघा किस्म बारानी दोयम का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
वर्तमान जमाबंदी अनुसार खातेदार					
1	भंवरूराम पुत्र भबूत कौम गुर्जर 1/2 कानसिंह पुत्र धनसिंह मेघसिंह पुत्र नारायणसिंह भंवरसिंह गजेसिंह पिता उम्मेदसिंह 1/3 पृथ्वीसिंह जयसिंह पिता किशनसिंह हेमेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह तेजेन्द्रकंवर पत्नी गंगासिंह जयसिंह पुत्र किशनसिंह मोरकंवर पुत्री किशनसिंह 1/6 कौम राजपूत सा.देह खातेदार एम.न. 2716, 2763, 2995	674	7-12-00	बा.दो.	2.36
प्रस्तावित बंटवाड़ा अनुसार खातेदार					
1	पृथ्वीसिह पिता किशनसिंह हेमेन्द्रसिंह पिता गंगासिंह तेजेन्द्रकंवर पत्नी गंगासिंह मोरकंवर पुत्री किशनसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	674	0-14-00	बा.दो.	0.21
2	भंवरसिंह गजेसिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	674/1	0-16-00	बा.दो.	0.25

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

3	कानसिंह पुत्र धनसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	674/2	0-16-00	बा.दो.	0.25
4	मेघसिंह पुत्र नारायणसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	674/3	0-16-00	बा.दो.	0.25
5	भंवरूराम पुत्र भबूत कौम गुर्जर सा. देह खातेदार	674/4	3-16-00	बा.दो.	1.18
6	जयसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत सा. देह खातेदार	674/6	0-09-00	बा.दो.	0.14
7	पृथ्वीसिंह पुत्र किशनसिंह हेमेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह तेजेन्द्रकंवर पत्नी गंगासिंह मोरकंवर पुत्री किशनसिंह 1/5 भंवरसिंह गजेसिंह पिता उम्मेदसिंह 1/5 कानसिंह पुत्र धनसिंह 1/5 मेघसिंह पुत्र नारायणसिंह 1/5 जयसिंह पुत्र किशनसिंह 1/5 कौम राजपूत सा.देह खातेदार।	674/5	0-05-00	बा.दो.	0.08
	योग		**7-12-00**	**बा.दो.**	**2.36**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 06/02/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)